

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/सी.सी.टी.व्ही./757/23

भोपाल, दिनांक 10 / 04/2017

प्रति,

सचिव (समस्त)

कृषि उपज मण्डी समिति,

..... जिला (म.प्र.)


विषय:- सी०सी०टी०व्ही० कैमरे क्रय करने हेतु प्रस्ताव निर्धारित चेकलिस्ट में भेजने के संबंध में।

-0-

प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों से समय-समय पर सी०सी०टी०व्ही० कैमरे क्रय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मण्डी बोर्ड को प्राप्त होते हैं। प्रस्ताव में क्रय के लिये निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। प्रस्ताव के साथ स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने से प्रस्ताव वापिस किये जाते हैं।

म०प्र० भण्डार क्रय एवं उपार्जन नियम, 2015 में विभिन्न प्रकार की सामग्री क्रय करने हेतु प्रावधान एवं प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों के कार्यालय/प्रांगणों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सी०सी०टी०व्ही० कैमरे के स्थापन एवं संचालन के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/बी-7/2/सी.सी.टी.व्ही./ कैमरे/2806 दिनांक 13.6.2017 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक-3079 दिनांक 23.1.2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बिन्दुवार पूर्णतः पालन करते हुये सी०सी०टी०व्ही० कैमरे क्रय के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु गठित समिति की अनुशंसा के उपरांत निम्नानुसार निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार आंचलिक कार्यालयों के स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित भिजवाना सुनिश्चित करे :-

01. सी०सी०टी०व्ही० कैमरे क्रय के संबंध में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार गठित समिति का कार्यवाही विवरण एवं अनुशंसा।
02. मण्डी समिति में पूर्व से कुल कितने सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित किये गये हैं एवं वर्तमान में कितने सी.सी.टी.व्ही. कैमरे चालू/बंद हालत में हैं। यदि कैमरे बंद हालत में हैं तो मेन्टेनेन्स की क्या स्थिति है ?
03. मण्डी समिति में कुल कितने प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण हैं ? उनका कुल एरिया (एकड़ में) कितना है ? प्रांगणों में गेटों की संख्या ?
04. चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मद में स्वीकृत बजट प्रावधान की प्रमाणित प्रति।



05. उक्त संबंध में मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/उहराव की प्रति।
06. बोर्ड को भेजी जाने वाली समस्त वैधानिक निधियों को नियमित रूप से जमा किया जा रहा है अथवा जमा किया गया है संबंधी प्रमाण पत्र।
07. मण्डी में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन भत्तो/पेंशन का नियमित रूप से भुगतान हो रहा है संबंधी प्रमाण पत्र।
08. क्रय का माध्यम।
09. क्रय की जाने वाली सामग्री की संख्या एवं वैद्य दर सूची अनुसार दर।
10. वैद्य दर सूची की छायाप्रति।
11. क्रय सामग्री की कुल अनुमानित राशि।
12. मण्डी की चालू निधि में अद्यतन स्थिति में उपलब्ध राशि।
13. मण्डी समिति में सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे लगाने के संबंध में गठित समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे क्रय किया जाना उपयुक्त है के संबंध में अपर/संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय का सहमती प्रमाण-पत्र।



प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/सी.सी.टी.व्ही./757/24

भोपाल, दिनांक 10 / 04 / 2017

प्रतिलिपि:-

- (1) अपर/संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे क्रय के संबंध में मण्डी समितियों से उपरोक्त जानकारी सहित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर भण्डार क्रय नियमों के तहत परीक्षण कर अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।



प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल